प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः-25.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 25.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक खरेला अनूप कुमार दुबे द्वारा टीम गठित ने ग्राम ऐंचाना से एक नफर अभियुक्त अनोखे पुत्र खिलाडी उम्र 30 वर्ष को 18 अदद क्वार्टर देशी ठेका शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 87/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमेश कुमार
2. का0 सुदयवीर
3. का0 हवन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनोखे पुत्र खिलाडी उम्र 30 वर्ष नि0मु0 सुभाषनगर थाना कबरई जनपद महोबा व उम्र करीब 30 वर्ष।

@mahobapolice
SP Mahoba
7839857330

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-25.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने 02 वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अभियान के तहत संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी जिसमें प्रथम टीम ने थाना स्थानीय में पंजीकृत मु.अ.सं. 223/2021 धारा 308 भादवि थाना कबरई से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्त जगप्रसाद पुत्र गंगवा उम्र करीब 30 वर्ष को पाण्डेय पुलिया मोड के पास बहद कस्बा कबरई से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में द्वितीय टीम ने थाना कबरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 218/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एंव खनिज अधि. से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्त पवन सिंह पुत्र रामसिह उम्र 24 वर्ष को स्टेट बैंक के पास से बहद कस्बा कबरई से गिरफ्तार किया गया।

बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उक्त गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगणों को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार मिश्रा 2. उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर
3. का0 श्यामु कुमार 4. कां0 मनीष कुमार 5. का0 धर्मवीर सिंह

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1. जगप्रसाद पुत्र गंगवा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा।
2. पवन सिंह पुत्र रामसिह उम्र 24 वर्ष नि0 मु0 शेखूपुरा थाना कोतवाली महोबा।

Mahoba Police

महोबा पुलिस

'सड़क सुरक्षा सप्ताह' के निर्धारित कार्यक्रम के तहत चलाया गया चेकिंग/जागरुकता अभियान ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 25.07.2021 को **'सड़क सुरक्षा सप्ताह' (22 जुलाई से 28 जुलाई)** के दृष्टिगत आज चौथे दिन निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में जनपदीय यातायात पुलिस/जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की गयी जिसमें प्रमुख रुप से शराब पीकर वाहन चलाने वालो की चेकिंग ब्रीथ इनलाइजर से तथा बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालो के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसके क्रम में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा की गयी साथ ही सभी को यातायात नियमों से अवगत कराया गया ।

इस अवसर पर प्रभारी यातायात श्री अरविन्द् मिश्रा द्वारा लोगों को जागरुक करते हुये कहा गया कि आप सभी वाहन को नियंत्रित गति के साथ ही चलायें और अपने जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभायें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके साथ ही सभी को प्रोत्साहित करते हुये कहा गया कि अपने परिवारीजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी हेलमेल, सीटबैल्ट व यातायात नियमों का पालन करने के लिये जागरुक करें।

कोतवाली महोबा पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को तमंचा/कारतूस सहित किया गिरफ्तार

आज दिनाँक 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में जिला बदर/शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त हेमन्त श्रीवास पुत्र नवल किशोर श्रीवास उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी खरका थाना डकोर जनपद जालौन, हाल-पता मु0 भीतरकोट थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद को आदेश जिला मजिस्ट्रेट महोबा के वाद संख्या 16/2021 के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।** जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः **मु0अ0सं0 337/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 338/2021 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत** कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

हेमन्त श्रीवास पुत्र नवल किशोर श्रीवास उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी खरका थाना डकोर जनपद जालौन, हाल-पता मु0 भीतरकोट थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद।

बरामदगीः-

01 अदद तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री मुहम्मद सुल्तान (चौकी प्रभारी मनियादेव)
2. कां0 दीपेन्द्र सिंह
3. कां0 प्रवीण कुमार वर्मा

Mahoba Police

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः-25.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

पीडित महिला को पीआरवी-1252 द्वारा पहुँचाया गया अस्पताल

आज दिनाँक 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित पीआरवी-112 द्वारा **थाना कबरई अन्तर्गत पीआरवी-1252** को समय लगभग 08:00 सुबह कॉलर द्वारा मोहल्ला रानी लक्ष्मी बाई नगर कस्बा कबरई में एक महिला के साथ बलात्कार व हत्या की सूचना दी गई।

इस सूचना पर पीआरवी-1252 द्वारा तत्काल थाना कबरई पुलिस को सूचित करते हुए घटना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि एक महिला उम्र करीब 60 वर्ष घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसे तत्काल महिला आरक्षी बबीता पाल (थाना कबरई) के साथ पीआरवी द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पीडिता का इलाज चल रहा है।

थाना कबरई में इस संबंध में मु0अ0सं0 224/21 धारा 342/376/504/506 भादवि तथा 3(1)द/ध 3(2)5/क एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पीआरवी-1252 स्टाफ

कमांडर - का0 ब्रजेश तिवारी

सब कमांडर - का0 ब्रजेश कुमार प्रजापति

पायलट - एचजी सुभाष शुक्ला

महोबा पुलिस

पीआरवी-1260 द्वारा रोड़ एक्सीडेन्ट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया अस्पताल

आज दिनाँक 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित पीआरवी-1260 थाना चरखारी अंतर्गत समय लगभग 14.00 बजे कॉलर द्वारा सूचना मिली कि घटना स्थल महावीर नगर कस्बा चरखारी में बाइक सवार व डंपर में एक्सिडेंट हो गया है।

इस सूचना पर पीआरवी-1260 द्वारा महज 04 मिनट में घटना स्थल पर पहुँचकर देखा तो मो0सा0 सवार व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जो रोड़ के किनारे पड़ा था, जिसे तत्काल मौके पर मौजूद लोगो की मदद से पीआरवी द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, समय से इलाज मिलने पर घायल मो0सा0 सवार श्री दुर्जन पुत्र दया राम निवासी ग्राम लुहारी थाना चरखारी जनपद महोबा की जान बचाई जा सकी व परिजनो को सूचित किया।

पीआरवी-1260 स्टाफ

कमांडर - HC रामकिशन
सब कमांडर – महिला आरक्षी उर्मिला पटेल
सब कमांडर – महिला आरक्षी कविता यादव
पायलट – एचजी अनिरुद्ध सिंह

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-25.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

चौकी सूपा पुलिस द्वारा वाहन-चालको को "सड़क सुरक्षा सप्ताह" के तहत यातायात नियमो की दी जानकारी

क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में पैदल गस्त करके वीकेंड लॉकडाउन का कराया गया पालन

आज दिनाँक 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय चरखारी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराया गया।

चौकी प्रभारी सूपा उ0नि0 अनूप पाण्डेय द्वारा **"सड़क सुरक्षा सप्ताह" (22-28 जुलाई)** तक चलाने वाले अभियान के तहत वाहन चालको को यातायात नियमो के जागरुक करते हुए हेलमेट/शीट बेल्ट का प्रयोग, क्षमता से अधिक सवारी न बैठालने, शराब/नशा करके गाड़ी न चलाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने आदि नियमो की जानकारी दी गई।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **139 ई-चालान** व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **33 व्यक्तियों से 4100-रु0 शुल्क वसूला गया।**

@mahobapolice   SP Mahoba   7839857330